"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अप्रैल 2018—चैत्र 16, शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग
विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कालोनी, ांतिनगर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्रमांक 79/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2018.— विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 50 सहपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त ाक्तियों तथा इस निमित्त समर्थकारी सभी अन्य ाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व प्रका ान के प चात, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 में निम्नलिखित सं ोधन करते हैं, अर्थात् :—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय सं ोधन) 2018

1. **संक्षिप्त नाम, परिभा ाएं तथा प्रारंभः**

(1) ये सं ोधन "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय सं ोधन) 2018" कहलायेंगे.

(2) ये राजपत्र में इनके प्रका ान की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

(3) सभी अन्य ाब्द और अभिव्यक्तियां जो इस संहिता में प्रयुक्त है किन्तु परिभा ाित नही है, उनके वही अर्थ होंगे, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 (जो इसमें इसके प चात मूल संहिता के रूप में निर्दि ट है) में है.

2. **मूल संहिता के विनियम 1.6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

1.6 आयोग, नियमित आधार पर उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के लिए विनियम के साथ साथ इस विद्युत प्रदाय संहिता की समीक्षा हेतु, विद्युत प्रदाय संहिता पुनर्विलोकन समिति (पुनर्विलोकन समिति) का गठन करेगा. पुर्नाविलोकन समिति में निम्न सदस्य होंगे:–

(ए) कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचालन एवं संधारण), छ.ग.रा.वि.वि.कं.लि., राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी, समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे.

(बी) कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (वाणिज्य एवं योजना), छ.ग.रा.वि.पा.कं.लि., राज्य पारेषण उपयोगिता (एसटीयू), समिति के पदेन सदस्य होंगे.

(सी) अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि – सदस्य.

(डी) एलटी उपभोक्ता, एचटी उपभोक्ता, ईएचटी उपभोक्ता, उनके संगठन एवं कोई अन्य उपभोक्ता समूह; तथा कोई अन्य हितबद्ध समूह, एनजीओ सहित, जैसा कि आयोग उचित समझे, – सदस्य.

परंतु यह कि समीक्षा समिति की कार्यवाहियां, केवल किसी रिक्त या गठन में त्रुटि की विद्यमानता के आधार पर ही निरसित नही होगी तथा ऐसे मामलों पर आयोग का विनिश्चय, अंतिम एवं निर्णयात्मक होगा।

टीप: (सी) एवं (डी) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि, दो वर्ष की अवधि के लिये होगी.

3. **मूल संहिता के विनियम 1.7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

1.7 समीक्षा समिति का अध्यक्ष, सदस्य सचिव के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा. संबधित अनुज्ञप्तिधारी, समिति को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सभी अपेक्षित सहायता, प्रशासनिक या अन्यथा, की व्यवस्था करेगा.

4. **मूल संहिता के विनियम 2.1, उप–विनियम (ओ), (डब्ल्यूडब्ल्यू) एवं (सीसीसी) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

(ओ) 'संबंद्ध भार' से अभिप्रेत है उपभोक्ता के परिसर में सभी उर्जा उपभोग यंत्रों की सकल विनिर्माण रेटिंग, जिसे साथ साथ उपयोग किया जा सकता हो. यह, कि.वा. या हा.पा. में अभिव्यक्त किया जायेगा तथा इस संहिता में 'संस्थापन की रेटिंग' पर विनियम 5.48 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार भी निर्धारित किया जा सकता है.

(डब्ल्यूडब्ल्यू) 'ग्रामीण क्षेत्र' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यथा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र.

(सीसीसी) 'नगरीय क्षेत्र' से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र.

5. **मूल संहिता के (सीसीसी) के पश्चात, निम्नानुसार नवीन परिभाषाएं (डीडीडी), (ईईइ) एवं (एफएफएफ) जोड़ा जाये:**

(डीडीडी)' सामान्य कनेक्शन' से अभिप्रेत है विद्युत कनेक्शन, जहां मुख्य वितरण एवं आपूर्ति बिन्दु के बीच की दूरी 30 मीटर के भीतर हो और विद्यमान वितरण साधन (मेन्स) का परिवर्धन/संवर्धन/उन्नयन, अपेक्षित न हो.

(ईईई) 'विस्तारित प्रकरण' से अभिप्रेत है ऐसे सभी प्रकरण, जो सामान्य कनेक्शन क्षेत्र के अन्तर्गत न आता हो.

(एफएफएफ) 'आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार ' से अभिप्रेत है उपभोक्ता के मांग की पूर्ति के लिए वितरण प्रणाली के विस्तार, उन्नयन करने एवं सामर्थ्य बनाने की लागत.

6. **मूल संहिता के विनियम 3.4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

3.4 आपूर्ति वोल्टेज–वार न्यूनतम एवं अधिकतम संविदा मांग, सामान्य रूप से निम्नानुसार होगा:

आपूर्ति वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
230 वोल्ट	–	3 कि.वा
440 वोल्ट	3 कि.वा. से अधिक	150 हा.पा. या 112 कि.वा. तक
11 कि.वो.	60 कि.वो.ए.	500 कि.वो.ए.
33 कि.वो.	60 कि.वो.ए.	15000 कि.वो.ए.
132 कि.वो	4000 कि.वो.ए.	40000 कि.वो.ए.
220 कि.वो.	15000 कि.वो.ए.	150000 कि.वो.ए.

परंतु यह कि तकनीकी कारणों से, अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के सम्यक् अनुमोदन के पश्चात उपरोक्त प्रावधान को शिथिल कर सकेगा. 100 हा.पा. से अधिक एलटी कनेक्शनों की मीटरिंग, एचटी साइड पर व्यवस्थित किया जायेगा. एचटी एवं ईएचटी उपभोक्ता, जो उपरोक्त यथा विहित अधिकतम सीमा से अधिक संविदा मांग रखते हैं, ऐसे अतिरिक्त प्रभार उदग्रहित किया जायेगा, जैसा कि संबंधित टेरिफ आदेश में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट हो.

7. **मूल संहिता के विनियम 4.3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

4.3 वितरण साधन (मेन्स) के विस्तार तथाा नवीन उपभोक्ता की मांग की पूर्ति एवं विद्यमान उपभोक्ता के भार संवर्धन के लिए अपेक्षित प्रणाली के विस्तार/उन्नयन की लागत, अधिनियम की धारा 46 के अनुसार आयोग द्वारा यथा अनुमोदित विविध एवं सामान्य प्रभार में किये गये प्रावधानों के अनुसार होगा.

परंतु यह कि अनुज्ञप्तिधारी, मांग अध्यपेक्षा, चाहे वह सामान्य कनेक्शन या विस्तार प्रकरण हो, की पूर्ति के लिए, कृषि से भिन्न सभी उपभोक्ता संवर्गों से आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार वसूल करेगा.

8. **मूल संहिता के विनियम 4.4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

4.4 यदि एलटी औद्योगिक कनेक्शन, चाहे नवीन या विद्यमान भार का संवर्धन हो, के मामले में, जिससे विद्यमान ट्रांसफार्मर की क्षमता का संवर्धन या पृथक ट्रांसफार्मर का संस्थापन अपेक्षित हो, यदि सार्वजनिक भूमि पर उपकेन्द्र स्थापित किया जाना सम्भव न हो तो उपभोक्ता ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र और स्विचगियर के लिए सुलभ पहुंच वाली भूमि/कक्ष बिना मूल्य उपलब्ध करायेगा, जिसके लिए कोई भाड़ा या प्रीमियम, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नहीं दिया जायेगा.

9. **मूल संहिता के विनियम 4.8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

4.8 यदि एलटी कनेक्शन की निस्तार में वितरण प्रणाली का विस्तार या अन्यथा अंतर्वलित होता है तो सर्विस लाइन बिछाने का कार्य प्राधिकृत अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी की मांग पर टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जायेगा.

10. **मूल संहिता के विनियम 4.9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

4.9 ऐसे प्रकरणों में, जहां वितरण साधन (मेन्स) का विस्तार अपेक्षित हो, तो अनुज्ञप्तिधारी, विविध एवं सामान्य प्रभारों में यथा विनिर्दिष्ट विस्तार लागत और आपूर्ति सामर्थ्य प्रभारों को वसूलने के पश्चात लाइन विस्तार (30 मी. से अधिक) कार्य पूर्ण कर सकता है। तथापि, ऐसे प्रकरण में, उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदित लेआउट, ड्राइंग तथा डिजाइन के अनुसार प्राधिकृत अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार के माध्यम से सभी लाइन विस्तार कार्य को निष्पादित करने हेतु प्राथमिकता रखता हो, ऐसे प्रकरणों में, उपभोक्ता से, आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार के अतिरिक्त सामग्री की लागत तथा मजदूर प्रभार पर आयोग द्वारा यथा अनुमोदित पर्यवेक्षण प्रभार का भुगतान करना अपेक्षित होगा। सभी लाइन विस्तार कार्य के पूर्ण होने पर यह परिसंपत्ति अनुज्ञप्तिधारी को सौप दिया जायेगा तथा कनेक्शन के निस्तार के पश्चात, लाइन को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वामित्वधीन रखा जायेगा तथा संधारण किया जायेगा.

11. **मूल संहिता के विनियम 4.15 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

4.15 नवीन कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को भी संलग्न किया जायेगा:–

i) डीएलएफ/बीपीएल प्रयोजन:–

ए) आवेदक का फोटो चस्पा किया हुआ पहचान का प्रमाण (विहित अनुसार).

बी) परिसर के स्वामित्वता का दस्तावेज/स्वामी से एनओसी यदि आवेदक, परिसर का किरायादार हो.

सी) राज्य शासन द्वारा अनुमोदित प्रचलित बीपीएल सूची के बीपीएल प्रयोजन हेतु.

ii) एनडीएलएफ प्रयोजन:–

ए) आवेदक का फोटो चस्पा किया हुआ पहचान का प्रमाण (विहित अनुसार).

बी) परिसर के स्वामित्वता का दस्तावेज/स्वामी से एनओसी यदि आवेदक, परिसर का किरायादार हो.

iii) कृषि/संबद्ध कृषि प्रयोजन:–

ए) परिसर के स्वामित्वता/कब्जे का विधिक दस्तावेज.

बी) आवेदक का फोटो चस्पा किया हुआ पहचान का प्रमाण (विहित अनुसार).

iv) औद्योगिक प्रयोजन:–

ए) परिसर के स्वामित्वता/कब्जे का विधिक दस्तावेज.

बी) प्राधिकार पत्र यदि आवेदक फर्म/कंपनी का भागीदार है और पहचान का फोटो प्रमाण यदि आवेदक, फर्म का स्वामी है.

v) लोक उपयोगिता प्रयोजन:–

ए) कोई दस्तावेज नहीं।

12. **मूल संहिता के विनियम 4.16 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

4.16 आयोग द्वारा यथा विनिश्चित रजिस्ट्रेशन–कम–प्रोसेसिंग फीस, नवीन कनेक्शन/भार संवर्धन हेतु उदग्रहित किया जायेगा. ये प्रभार, अनुज्ञप्तिधाारी द्वारा वापस नहीं किये जायेंगे किन्तु भविष्य के विद्युत देयक में समायोजित किये जायेंगे.

पहचान का प्रमाण:–

निम्नलिखित स्व–प्रमाणित कोई भी दस्तावेज, स्वीकृतयोग्य पहचान के प्रमाण के रूप में विचारणीय होंगे:–

(ए) यदि आवेदक व्यक्ति है:

(i) मतदाता पहचान पत्र
(ii) पासफोर्ट
(iii) ड्राइविंग लाइसेंस
(iv) राशन कार्ड
(v) शासकीय अभिकरण द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
(vi) पैन कार्ड
(vii) सरपंच या कोई ग्राम स्तरीय शासकीय कार्यकारी जैसे पटवारी/पोस्टमास्टर/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी आदि से फोटो प्रमाणपत्र
(viii) आधार कार्ड
(ix) मनरेगा रोजगार कार्ड
(x) पेंशन दस्तावेज फोटो सहित
(xi) बैंक पासबुक फोटो सहित
(xii) स्वास्थ्य बीमा कार्ड

(बी) यदि आवेदक कंपनी, न्यास, शैक्षणिक संस्थान, शासकीय विभाग आदि है, तो आवेदन प्ररूप, सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और संबंधित संस्थान के संबंधित संकल्प/ प्राधिकार पत्र के साथ होगा.

टीपः– अनुज्ञप्तिधारी, सत्यापन हेतु उपभोक्ता से मूल दस्तावेजों को मांग सकेगा.

13. **मूल संहिता के विनियम 4.17 को विलोपित किया जाये.**

14. **मूल संहिता के विनियम 4.33 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः**

4.33 यदि उपभोक्ता, स्वयं लाइन विस्तार कार्य निष्पादित करने हेतु अधिमानता रखता है तो उपभोक्ता, समय समय पर आयोग द्वारा यथा अनुमोदित लागू पर्यवेक्षण प्रभार और आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार का भुगतान करेगा. उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य के आवश्यक पर्यवेक्षण करने हेतु विस्तार कार्य के प्रारंभ के बारे में अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में अग्रिम सूचना देगा. उपभोक्ता को कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व अग्रिम में आवश्यक वैधानिक अनुमति अभिप्राप्त करना होगा. उपभोक्ता, इस संहिता के विनियम 4.58 में विहित समय सूची के भीतर विस्तार कार्य भी पूर्ण करेगा, तथा अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में विस्तार कार्य के पूर्ण होने की तिथि की सूचना देगा.

15. **मूल संहिता के विनियम 4.50 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः**

4.50 संबंधित फीडर से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के इच्छुक उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी सुविधा के लिए अनुरोध कर सकेगा. संबंधित फीडर को सब–स्टेशन से उपभोक्ता के आपूर्ति बिन्दु में, यदि साध्य हो, विस्तारित किया जा सकेगा. ऐसे मामले में, उपभोक्ता, फीडर के लगाने एवं आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार के लागत के अतिरिक्त, इस फीडर के लिए सब–स्टेशन में प्रावधानित खण्ड (Bay) एवं सभी सुरक्षा स्वीचगीयर एवं इसके उपकरणों की लागत भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा. यदि उपभोक्ता, स्वयं का फीडर लगाने का कार्य निष्पादित करने की अधिमानता रखता है तो उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को पर्यवेक्षण प्रभार भुगतान करने के पश्चात ''अ'' श्रेणी के विद्युत ठेकेदार के माध्यम से कार्य निष्पादित करेगा. ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में संबंधित फीडर लगाने के गुणदोष के आधार पर संभाव्यता की जांच करेगा. ऐसे संबंधित फीडर, अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति होगी तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसका संधारण किया जायेगा. ऐसे फीडर का, उस उपभोक्ता, जिसने लाइन एवं खण्ड (Bay) का भुगतान किया है, की सहमति के बिना, उसके कार्य की तिथि से दो वर्ष की आरंभिक अवधि के भीतर किसी अन्य उपभोक्ता को आपूर्ति विस्तार हेतु प्रयोग नही किया जायेगा.

16. **मूल संहिता के विनियम 4.51 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः**

4.51 एलटी कनेक्शनों के लिए लाइट और पंखे के भार का निर्धारणः

(ए) भवन/भवनों के समूह या बहु उपभोक्ता काम्पलेक्स के भार के निर्धारण के लिए, निम्नलिखित मानदण्ड अपनाया जायेगाः–

(i) आवासीय उपयोग

(ए)	प्रत्येक 250 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए–	
	(i) नगर निगम	1.00 कि.वा.
	(ii) नगरपालिका	0.75 कि.वा
(बी)	प्रत्येक 400 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए–	
	(i) नगर पंचायत/ग्राम पंचायत	0.50 कि.वा.
(सी)	शासन की किसी योजना के अंतर्गत निर्मित किये जा रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास, प्रत्येक 400 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए–	0.50 कि.वा.

(ii) गैर–आवासीय उपयोग

(ए)	प्रत्येक 200 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए–		
	(i) नगर निगम	1.00	कि.वा.
	(ii) नगरपालिका	0.75	कि.वा
	(iii) नगर पंचायत/ग्राम पंचायत	0.50	कि.वा.
(बी)	शेड/भंडारगृह/विद्यालय/धर्मशाला/भाण्डारगार के लिए, प्रत्येक 1000 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए–	1.00	कि.वा.

(बी) हाउसिंग कालोनी में आवासीय भूखण्ड एवं गैर आवासीय भूखण्ड के भार के निर्धारण के लिए, निम्नलिखित मानदण्ड अपनाया जायेगाः–

(i) आवासीय भूखण्डो हेतु

(ए)	प्रत्येक 300 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए–		
	(i) नगर निगम	1.00	कि.वा.
	(ii) नगरपालिका	0.75	कि.वा
(बी)	प्रत्येक 500 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए–		
	(i) नगर पंचायत/ग्राम पंचायत	0.50	कि.वा.

(ii) गैर–आवासीय भूखण्डो हेतु

(ए)	प्रत्येक 200 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए		
	(i) नगर निगम	1.00	कि.वा.
	(ii) नगरपालिका	0.75	कि.वा
	(iii) नगर पंचायत/ग्राम पंचायत	0.50	कि.वा.

टीपः–

(i) भार के निर्धारण के लिये उपरोक्त मानदण्ड, लागू नही होगा जहां उपभोक्ता, मांग आधारित टेरिफ कनेक्शन के लिए आवेदन करता हो.

(ii) भार का निर्धारण, हाउसिंग कालोनी/बहु उपभोक्ता काम्पलेक्स के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना (प्लान) के अनुसार किया जायेगा.

(iii) सामान्य सुविधाओं जैसे लिफ्ट, वाटर पम्प, स्ट्रीट लाईट आदि का भार, विकासकर्ता/भवन निर्माता/सोसाइटी/उपभोक्ता द्वारा विनिश्चित अनुसार विचारणीय होगा.

(iv) भार के प्राक्कलन के लिए उपरोक्त प्रक्रिया, भार के निर्धारण में अनुरूपता लाने के प्रयोजन के लिए तथा अधोसंरचना व्यवस्थित करने के लिए है. तथापि, सुरक्षानिधि आदि, का समाधान, उपभोक्ता एवं वैयक्तिक उपभोक्ता/बहु उपभोक्ता काम्पलेक्स एवं हाउसिंग कालोनी द्वारा अनुरोध अनुसार वास्तविक भार के आधार पर किया जायेगा.

(v) भार के संगणना के प्रयोजन के लिए, आवासीय बहु–उपभोक्ता काम्पलेक्स की दशा में वैयक्तिक उपभोक्ता के निर्मित क्षेत्रफल को लिया जायेगा, जबकि गैर आवासीय बहु–उपभोक्ता काम्पलेक्स की दशा में काम्पलेक्स के पूरे निर्मित क्षेत्रफल विचारणीय

होंगे. तथापि, आवेदक, अपने वास्तविक आवश्यकता के आधार पर संगणित भार से अधिक के लिए आवेदन कर सकेगा तथा ऐसे प्रकरणों में अधोसंरचना, अध्यपेक्षित भार के लिए विकसित करनी होगी.

(vi) विद्युतिकृत बहु उपभोक्ता काम्पलेक्स/हाउसिंग कालोनी के सौपे जाने के पश्चात, यदि वैयक्तिक आवेदक (जैसे आवास स्वामी, दुकान का स्वामी आदि) निर्धारित भार या संगणित भार से अधिक के लिए आवेदन करता है तो आवेदक से सवंर्धित भार के लिए विनियम 4.3 के अनुसार व्यवहार किया जायेगा.

परंतु यह कि वैयक्तिक आवेदक (जैसे आवास स्वामी, दुकान का स्वामी आदि), वैयक्तिक कनेक्शन के समय पूर्व में निर्धारित भार या संगणित भार पर पृथक से कोई आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार का भुगतान नही करेगा.

(vii) स्वामी/भवन निर्माता/विकासकर्ता, चरणबद्ध रीति में परियोजना के बाह्य विद्युतिकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार, उस चरण के निर्धारित/आवेदित भार, जो भी उच्चतर हो, पर लागू होंगे. तथापि, अपेक्षित सब–स्टेशन के निर्माण या अन्यथा के लिए भूमि, पूरे अनुमोदित प्लान के आधार पर निर्धारित किये जाने चाहिए तथा भूमि, प्रथम चरण के विद्युतिकरण के पूर्व लिया जायेगा.

17. **मूल संहिता के विनियम 4.52 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः**

4.52 बहु–उपभोक्ता काम्पलेक्स एवं हाउसिंग कालोनी को आपूर्ति–विशेष शर्तें :

(i) भवन/भवनों के समूह, जो सामान्यतः इस संहिता के विनियम 4.51 के अनुसार निर्धारित, 50 कि.वा. या अधिक के कुल भार के लिए एक या एक से अधिक एलटी कनेक्शनों की अपेक्षा करतें हैं, को विद्युत आपूर्ति के प्रयोजन के लिए बहु–उपभोक्ता काम्पलेक्स के रूप में समझे जायेंगे. बहु–उपभोक्ता काम्पलेक्स में आवासीय, गैर आवासीय एवं वाणिज्यिक काम्पलेक्स, हाउसिंग कालोनी, आफिस काम्पलेक्स, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान आदि शामिल होंगे.

(ii) बहु–उपभोक्ता काम्पलेक्स हेतु आपूर्ति की व्यवस्था, पर्याप्त क्षमता, किन्तु जो आवेदक द्वारा उपबंधित स्थान पर 100 कि.वो.ए. की क्षमता से कम न हो, के पृथक वितरण ट्रांसफार्मर के माध्यम से किया जायेगा. वितरण ट्रांसफार्मर की उच्चतर क्षमता की दशा में, ऐसी क्षमता का होगा जो सामान्यतः वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयोग किया जाता हो.

(iii) 11 कि. वो. लाइन के विस्तार, वितरण ट्रांसफार्मर सब–स्टेशन तथा कालोनी के भीतर एलटी लाइन/केबल का बिछाये जाने जैसे बाह्य विद्युतिकरण, विकासकर्ता/भवन निर्माता/हाऊसिंग सोसाइटी/उपभोक्ताओं के समूह/उपभोक्ता, जो अपनी लागत पर कनेक्शन हेतु आवेदन करते है, द्वारा किया जायेगा.

(iv) यदि 33 कि.वो. या 11 कि.वो. अतिरिक्त खण्ड (Bay), यथास्थिति, विद्यमान/नवीन प्रस्तावित 33/11 कि.वो. या 132/33 कि.वो. एस/एस में अपेक्षित हो, तो सहबद्ध उपकरणों सहित अतिरिक्त खण्ड (Bay) की लागत, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जायेगा.

(v) यदि आवेदक, ट्रांसफार्मर सब–स्टेशन अन्तर्वास में निर्माण करना चाहता है तो आवेदक, ऐसा व्यवस्था कर सकता है कि ट्रासफार्मर, ऊर्जापूर्ण होते हुए, शुष्क प्रकार का हो तथा प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार सभी सुरक्षा उपाय किया जाना चाहिए तथा अपेक्षित अनुसार अनुपालन किया जाना चाहिए. ऐसे प्रकरणों में, अन्तर्वास ट्रांसफार्मर के एचव्ही टरमिनल के लिये अनुज्ञप्तिधारी के ओव्हरहेड लाईन को संयोजित करने हेतु अपेक्षित केबल, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा. इसके अतिरिक्त, ऐसी सभी प्रकरणों में, आवेदक, अत्यावश्यकताओं की पूर्ति के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी को अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करायेगा, जिसमें से प्रत्येक विभिन्न प्रकार/क्षमता के संस्थापित ट्रांसफार्मर होंगे.

(vi) यदि आवेदक, सब–स्टेशन या वितरण ट्रांसफार्मर से परे कालोनी के भीतर भूमिगत केबल के माध्यम से 11 कि. वो. तथा/या एल.टी. लाईन बिछाना चाहता है तो इस शर्त के अध्यधीन ऐसा करने हेतु अनुज्ञात किया जायेगा कि सम्बंधित भारतीय मानको का अनुपालन करे। आवेदक द्वारा संस्थापित कोई भी वितरण ट्रांसफार्मर ऐसी क्षमता का होना चाहिए, जो समान्यतः वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयुक्त हो तथा इसकी सम्पूर्ण लागत आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा.

(vii) यदि विनियम 4.51 के अनुसार निर्धारित भार 1500 कि.वा. से अधिक है किन्तु 5550 कि.वा. से अधिक नहीं है तो आवेदक, आवश्यक भूमि मापांक जो 40ग्30 मीटर से कम न हो तथा भार 5550 कि.वा. से अधिक एवं 10,000 कि.वा. से कम हेतु भूमि मापांक जो 50×40 मीटर से कम न हो, अपने स्वयं के लागत पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 33/11 कि.वो. सब–स्टेशन के निर्माण के लिए रूपये 1/– के सांकेतिक प्रीमियम में उपलब्ध करायेगा. सब–स्टेशन की अवस्थिति आवेदक की सहमति से क्षेत्र के प्रभारी अभियंता द्वारा विनिश्चित किया जायेगा.

(viii) आवेदक, आयोग द्वारा अनुमोदित विविध एवं सामान्य प्रभारों के अनुसार आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार भुगतान करेगा.

(ix) भार के अतिरिक्त निर्माण या अतिरिक्त अपेक्षाओं के कारण बहु–उपभोक्ता काम्प्लेक्स या हाऊसिंग कालोनी के संवर्गो के अन्तर्गत आने वाले भवन/भवनों का समूह, ऐसे मामले में अनुज्ञप्तिधारी सभी चरणो (विद्यमान एवं प्रस्तावित) सहित ऐसे बहु–उपभोक्ता काम्प्लेक्स/हाऊसिंग कालोनी के कुल भार पर विचार करते हुए आवेदन का निराकरण करेगा, जैसा कि उपरोक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट हो.

(x) यदि बहु–उपभोक्ता काम्प्लेक्स एवं हाऊसिंग कालोनी के लिए, निर्धारित भार, विनियम 4.51 के अनुसार 10,000 कि.वा. से अधिक है तो ऐसे काम्प्लेक्स/कालोनी को विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिरूप (मॉडलिटिज) का विनिश्चय, अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध के आधार पर प्रकरण के अनुसार आयोग द्वारा किया जायेगा.

18. **मूल संहिता के विनियम 4.55, उप–विनियम (vi) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:–**

(vi) सड़क बत्ती, फिटिंग, बल्ब, टाइमर आदि, उपभोक्ता द्वारा आपूर्ति किये जायेंगे तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर प्रतिस्थापन किये जायेंगे. सूर्यास्त के पन्द्रह मिनट पूर्व स्ट्रीटलाईट चालू तथा सूर्योदय के पन्द्रह मिनट पश्चात् स्ट्रीट लाईट बंद के आधार पर टाइमर को सेट किये जायेंगे. उपभोक्ता, स्ट्रीट लाईट के चालू करने बंद करने/पोल पर बल्ब/टाइमर के प्रतिस्थापन का कार्य करेंगे, विशेष स्ट्रीट लाईट अवलम्ब का संधारण कार्य जैसे स्थानीय निकाय द्वारा निष्पादित ट्यूबलर पोल, हाई मास्ट लाईट के साथ भूमिगत तारों से सम्बंधित कार्य केवल स्थानीय निकाय द्वारा किये जायेंगे.

19. मूल संहिता के विनियम 4.56 को विलोपित किया जाये.

20. मूल संहिता के विनियम 4.58 उप–विनियम 2 (सी) एवं (डी) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये.

स.क्र.			सेवा का प्रकार	सेवा प्रदाय हेतु समय–सीमा
2.	(सी)		भुगतान एवं करार के अंतिमीकरण के पश्चात् विस्तार कार्य पूर्ण करने का समय.	90 दिवस
	(डी)	(i)	मीटर एवं मीटर उपकरण के संस्थापन के साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विस्तार कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् तीन माह की सूचना जारी करना.	7 दिवस
		(ii)	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विस्तार कार्य के पूर्ण होने के के पश्चात् भार का निस्तारण तथा आवेदक द्वारा विद्युत निरीक्षक से समाशोधन प्रस्तुत करना.	7 दिवस

21. **मूल संहिता के विनियम 4.59 उप–विनियम (i) एवं (X) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:–**

(i) समय निर्भर प्रयोजन जैसे निर्माण गतिविधि, प्रदर्शन, व्यापार मेला, विवाह आदि, जो अस्थायी स्वरूप का है, के लिए विद्युत आपूर्ति की अपेक्षा करने वाले कोई भी व्यक्ति, विहित प्ररूप (परिशिष्ट–1 या 2) में अस्थाई बिजली आपूर्ति हेतु आवेदन, इस संहित के विनियम 4.16 एवं 4.17 में विहित दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत करेंगे. आवेदक, यथास्थिति, परिसर के कब्जे का प्रमाण या परिसर के स्वामी से एन.ओ.सी. भी प्रस्तुत करेगा. यदि आपूर्ति, स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व के स्थान में अपेक्षित है तो स्थानीय प्राधिकारी से एन.ओ.सी. अपेक्षित है. अस्थाई आपूर्ति, विस्तार के समय तकनीकी रूप से साध्य के आधार पर विस्तार के अध्यधीन रहते हुए अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदाय किया जायेगा.

(X) अस्थाई आपूर्ति की कालावधि के विस्तार के लिए, उपभोक्ता अस्थाई आपूर्ति की समाप्ति की तिथि से कम से कम सात कार्य दिवस के पूर्व लिखित में अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन करेगा तथा उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई सुरक्षानिधि को, देय बकाया, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात् अपेक्षित अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, को निर्मुक्त करने के पश्चात् विस्तार के आगामी अवधि के लिए सुरक्षानिधि के रूप में समझा जायेगा।

22. **मूल संहिता के विनियम 6.4 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

6.4 किसी नये सर्विस कनेक्शन के लिए, अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षानिधि ले सकेगा जिसकी गणना हा.पा./कि.वा. या कि.वो.ए. में संविदात्मक भार/संविदात्मक मांग पर, जैसी भी स्थिति हो, विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति करार के अनुसार निम्नलिखित रीति से की जायेगी :–

स.क्र.	श्रेणी	सुरक्षानिधि की गणना हेतु यूनिट प्रति माह (30 दिवस) में निर्धारित खपत
01.	घरेलू	i) 100 यूनिट प्रति कि.वा.या उसके भाग ii) 25 यूनिट प्रति 250 वाट्स या उसके भाग
02.	गैर–घरेलू	i) 100 यूनिट प्रति कि.वा. या उसके भाग ii) 25 यूनिट प्रति 250 वाट्स या उसके भाग
03.	जल कार्य	i) 150 यूनिट प्रति कि.वा. या उसके भाग अथवा ii) 110 यूनिट प्रति हा.पा. या उसके भाग
04.	औद्योगिक	120 यूनिट प्रति कि.वा. या उसके भाग अथवा 100 यूनिट प्रति हा.पा.या उसके भाग
05.	कृषि	100 यूनिट प्रति हा.पा. या उसके भाग
06.	सड़क प्रकाश	160 यूनिट प्रति कि.वा. या उसके भाग
07.	एचटी उपभोक्ता	250 यूनिट प्रति कि.वो.ए.या उसके भाग

23. **मूल संहिता के विनिमय 6.5 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

6.5 सुरक्षा निधि, इस संहिता के विनियम 6.4 के अनुसार निर्धारित खपत के आधार पर निर्धारित की जायेगी और दिनों की विशिष्ट सख्या में अनुमानित खपत के समतुल्य राशि पर, प्रचलित दर और अन्य प्रभारों को जैसा कि निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट है, को लागू करते हुए की जायेगी: तथापि एचटी उपभोक्ताओं को कनेक्शन उपलब्ध कराने के पूर्व विनियम 6.4 के अनुसार एवं मासिक विद्युत बिल के साथ अधिकतम 6 (छः) समान किश्तों में बकाया राशि, निर्धारित सुरक्षा निधि की राशि का 50 प्रतिशत जमा करने हेतु अनुमति दी जायेगी.

स.क्र.	उपभोक्ता की प्रकृति	दिनों की संख्या
01	कृषि	
	i) स्थायी	90
	ii) अस्थायी	90 दिवस की अधिकतम के अध्यधीन अस्थायी कनेक्शन की संपूर्ण कालावधि हेतु, हुये
2	स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट	90
3	ऐसे उपभोक्ता जो परिसर के विधिक आधिपत्य का सबूत उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं	90
4	अन्य उपभोक्ता	60

परंतु यह कि यदि कोई नवीन एचटी/ईएचटी उपभोक्ता, विद्युत बिल के भुगतान के लिए 15 दिवस में भुगतान का विकल्प चुनता है तो ऐसे उपभोक्ताओं के सुरक्षा निधि 45 दिवस अनुमानित खपत के समतुल्य राशि, प्रचलित दर और अन्य प्रभारों को लागू करते हुए की जायेगी. ऐसे उपभोक्ता, बिलिंग चक्र के 15 दिवस पूर्ण होने पर निर्धारित मासिक विद्युत बिल का 50 प्रतिशत भुगतान करेगा.

तथापि, यदि ऐसा उपभोक्ता, निर्धारित तिथि में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करने में एक बार असफल होता है तो उपभोक्ता, बिलिंग चक्र के 15 दिवस पर विद्युत बिल भुगतान के अपने विशेषाधिकार को स्थायी रूप से खो देगा और दिनों की संख्या पर संगणित राशि के अनुसार सुरक्षा निधि का भुगतान, जैसा कि उपरोक्त तालिका में विनिर्दिष्ट है, करेगा.

विद्यमान उपभोक्ता, 15 दिवसीय भुगतान का विकल्प भी चुन सकेगा. ऐसे उपभोक्ता, बिलिंग चक्र के 15 दिवस पर पूर्ववर्ती माह के मासिक विद्युत बिल की 50 प्रतिशत राशि भुगतान करेगा. ऐसे उपभोक्ताओं का अतिरिक्त सुरक्षा निधि को आगामी माह की विद्युत बिल के अधिकतम छः समान किश्तों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समायोजित की जायेगी.

24. **मूल संहिता के विनिमय 6.13 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

6.13 अनुज्ञप्तिधारी, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट 'बैक दर' की दर से नगद में प्राप्त सुरक्षा निधि पर ब्याज का भुगतान करेगा.

25. **मूल संहिता के विनिमय 6.17 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

6.17 पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के अप्रैल में ब्याज की राशि संगणित की जायेगी. इस प्रकार संगणित की गई ब्याज राशि को उस वर्ष के मई माह हेतु मासिक विद्युत बिल के विरूद्ध पूर्णतः समायोजन द्वारा भुगतान की जायेगी. अनुज्ञप्तिधारी अनुबंध के प्रारंभ की तिथि से सुरक्षा निधि पर ब्याज का भुगतान करेगा तथा अनुबंध की समाप्ति तक भुगतान किया जायेगा.

26. **मूल संहिता के विनियम 7.9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः**

7.9 50 प्रतिशत से अधिक के लिए संविदात्मक मांग/संविदात्मक भार को कम करने हेतु आवेदन प्रपत्र, करार की प्रारंभिक कालावधि के भीतर, जो संविदा के प्रारंभ की तिथि से दो वर्ष का हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिग्रहित नही की जायेगी. तथापि, इस संहिता के विनियम 3.4 के अनुसार संबंधित वोल्टेज आपूर्ति हेतु यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम संविदा मांग के अध्यधीन संविदा मांग/संविदा भार के 50 प्रतिशत तक की सीमा का कम किया जाना, दो वर्श के करार की प्रारंभिक कालावधि के दौरान दो बार अनुज्ञेय होगी.

परंतु यह कि उपभोक्ता जो किसी सी.पी.पी. का केप्टिव/गैर–केप्टिव भार के अंतर्गत हैं, के संबंध में संविदा मांग का कम किया जाना, इस संहिता के विनियम 12.14 के प्रावधानों के अनुसार निराकृत किया जायेगा.

27. **मूल संहिता के विनियम 7.11 (ए) (बी) एवं (सी) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः**

7.11 भार/संविदा मांग कम करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित कदम उठायेगा :

(ए) अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर, आवेदन में कहे गये आधारों का परीक्षण कर, उसे सत्यापित करेगा एवं इसके निर्णय से संसूचित करेगा. कोई उपभोक्ता, जो अनुज्ञप्तिधारी के निर्णय से संतुष्ट नही होता है, अधिनियम की धारा 42 (5) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित विद्युत शिकायत निवारण फोरम के समक्ष अपने शिकायतों के निराकरण हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा. कोई उपभोक्ता, जो धारा 42 (5) के अधीन उसके शिकायतों के निराकरण नही होने से व्यथित है, अधिनियम की धारा 42(6) के अधीन आयोग द्वारा नियुक्त या पदाभिहित विद्युत लोकपाल से अपने शिकायतों के निराकरण हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसका निर्णय, जैसा कि किसी परिनियम के अधीन उपलब्ध हो, ऐसे उपचार के अध्यधीन अंतिम होगा.

परंतु यह कि एचटी एवं ईएचटी उपभोक्ताओं हेतु, जहां अनुज्ञप्तिधारी ने आवेदन प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के भीतर आवेदन में इसके निर्णय को संसूचित नही किया है, आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस पूर्ण पर आगामी बिलिंग माह के प्रथम दिवस से, संस्वीकृति समझी जायेगी एवं भार का कम किया जाना प्रभावी होगा.

(बी) एलटी कनेक्शन की स्थिति में, भार कम करने की संस्वीकृति हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्णय प्राप्ति पश्चात्, वह अपने भार को कम करेगा एवं प्राधिकृत अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार से नये जांच रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा. तत्पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारी, शहरी क्षेत्र की स्थिति में 2 दिवस एवं ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में 5 दिवस के भीतर जांच करने की व्यवस्था करेगा. उसके बाद, अनुज्ञप्तिधारी, एलटी उपभोक्ता से अनुपूरक करार का निष्पादन करेगा. भार का कम किया जाना, आगामी बिलिंग माह, जिसमें अनुपूरक करार निष्पादित किया गया है, की प्रथम दिवस से प्रभावी होगा.

(सी) एचटी एवं ईएचटी कनेक्शन की स्थिति में, आवेदन प्राप्ति के आगामी 15 दिवस पूर्ण होने के आगामी बिलिंग माह के प्रथम दिवस से भार में कमी, प्रभावी होगी. यदि उपभोक्ता बाद की तिथि, जो आवेदन की तिथि से 15 दिवस के अधिक होगी, में संविदा मांग कम करने का विकल्प चुनता है तो बिलिंग, बिलिंग माह, जिसके लिये संस्वीकृति दी गई है, के प्रथम दिवस से प्रारंभ होगी.

आवेदक और अनुज्ञप्तिधारी, संस्वीकृति की तिथि से 15 दिवस के भीतर संविदा मांग कम करने हेतु अनुपूरक करार का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करेंगे. यदि आवेदक, निर्धारित कालावधि के भीतर अनुपूरक करार, निष्पादित करने में असफल रहते है तो अनुज्ञप्तिधारी, संविदा मांग कम करने हेतु संस्वीकृति को रद्द कर सकेगा.

28. **मूल संहिता के विनियम 7.14 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :**

7.14 यदि कोई उपभोक्ता, जो किसी कारण से अपने संविदा भार/संविदा मांग कम किया हो, ऐसे कमी के एक वर्ष के भीतर भार को पुनः स्थापन की इच्छा रखता है तो यह अनुज्ञेय होगी, किन्तु ऐसा पुनः स्थापन, तकनीकी संभाव्यता के अध्यधीन होगी और इस शर्त के अध्यधीन होगी कि भार/मांग का कम किया जाना करार की आरंभिक कालावधि के भीतर पुनः अनुज्ञेय होगा।

परंतु यह कि यदि ऐसा उपभोक्ता, आवश्यक आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार/विस्तार प्रभार, जैसी भी स्थिति हो, के भुगतान करने के पश्चात् तथा विशिष्ट संविदा मांग हेतु अनुज्ञप्तिधारी से करार का निष्पादन एवं तत्पश्चात्, आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसके संविदा मांग/संविदा भार में कमी, किसी कारण से, संविदा मांग/संविदा भार को पुनःस्थापना की इच्छा रखता हो ऐसे कटौती के एक वर्ष के भीतर भार को पुनः स्थापन की इच्छा रखता है, तकनीकी संभाव्यता के अध्यधीन, आरंभिक रूप से उपभोग किये गये संविदा भार /संविदा मांग के अधिकतम सीमा में भार संवर्धन के लिए आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार का भुगतान करना आवश्यक नही है। यह सुविधा, उसके संयोजित रहने तक एक बार दिया जायेगा।

29. **मूल संहिता के विनियम 7.35 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

7.35 इसके प्रारंभ की तिथि से करार के दो वर्ष की प्रारंभिक कालावधि के अवसान के पश्चात् अनुबंध, उन्हीं शर्तों एवं निर्बंधनों के आधार पर वर्ष दर वर्ष स्वमेव नियमित होती जायेगी, परंतु यह कि दोनों पक्षकार, इस संहिता के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुये आपूर्ति करार से बाहर नही गयें हों.

30. **मूल संहिता के विनियम 7.36 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

7.36 यदि करार (किसी पूरक करार के भीतर प्रवेश करने के बाद भी) की प्रारंभिक कालावधि के अवसान के पश्चात् उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति, संहिता के अधीन जारी किसी निर्देश के प्रभारो के अदेय या बकाया या गैर अनुपालन हेतु दो माह की कालावधि के लिये असंयोजित रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी, पंद्रह दिवस की विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर परिशिष्ट 6 के अनुसार दिये गये प्रारूप में कारण बताओ नोटिस जारी करेगा. उपभोक्ता द्वारा असंयोजन के कारण को हटाने के लिये तथा पंद्रह दिवस की कालावधि के अवसान पर विद्युत आपूर्ति के पुनः स्थापन हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये जाने की स्थिति में, विद्युत आपूर्ति करार, असंयोजन के माह के अंतिम दिवस, जिसमें आपूर्ति को असंयोजित किया गया था, समाप्त मानी जायेगी.

31. **मूल संहिता के विनियम 7.40 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

7.40 घरेलू, सिंगल फेज गैर घरेलू एवं स्ट्रीट लाईट श्रेणी को छोड़कर समस्त उपभोक्ता, किसी पूरक करार के निष्पादन के उपरांत भी, परिशिष्ट–7 में दिये प्रारूप के अनुसार कम से कम एक माह की सूचना देने पर दो वर्ष की प्रारंभिक कालावधि के अवसान के पश्चात् करार समाप्त कर सकते है. अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं के अंतिम बिल तैयार करने को आसान बनाने आपसी सहमति की तिथि में विशेष मीटर रीडिंग की व्यवस्था करेगा. मासिक बिल की अंतिम तिथि पर करार समाप्त हो जायेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी तद्नुसार अंतिम बिल प्रस्तुत करेगा.

उदाहरणः यदि दिनांक 3 सितम्बर की एक माह की नोटिस, अनुज्ञप्तिधारी को 5 सितम्बर को तामील किया जाता है और बिलिंग चक्र 30 सितम्बर को पूर्ण होता है तो 31 अक्टूबर को करार समाप्त हो जायेगा. यदि एक माह की नोटिस को 15 सितम्बर को तामिल किया जाता है तो भी करार 31 अक्टूबर को समाप्त हो जायेगा अर्थात् समापन की तिथि, एक माह की नोटिस की कालावधि के अवसान के पश्चात् बिलिंग माह की अंतिम तिथि पर होगी.

32. **मूल संहिता के विनियम 10.22 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:**

10.22 (ए) अस्थायी असंयोजन के पश्चात् उपभोक्ता आपूर्ति के पुनः संयोजन को प्राप्त करने तक नहीं आने की दशा में, देय बकाया के भुगतान करते हुए, इस संहिता के विनियम 7.36/7.37 में कथन किये गये अनुसार, जहां भी लागू हो, प्रक्रिया का पालन करते हुये करार की समाप्ति के पश्चात् संयोजन को स्थायी रूप से असंयोजित कर दिया जायेगा.

(बी) अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के संयोजन के स्थायी असंयोजन के संबंध में उसके आपूर्ति क्षेत्र के भीतर उसी उपभोक्ता के अन्य विद्यमान विद्युत संयोजन से पुरानी विद्युत बकाया की वसूली का हकदार होगा.

33. **मूल संहिता के विनियम 10.23 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:–**

10.23 एलटी औद्योगिक/एचटी एवं ईएचटी उपभोक्ता, जो यथास्थिति, एक माह/3 माह सूचना अवधि के अवसान के पश्चात भी कनेक्शन का उपयोग नही सका हो, की दशा में, उपभोक्ता के परिसर तक आपूर्ति उपलब्ध कराने के संबंध में, उपभोक्ता, संबंधित टेरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार मांग/नियत प्रभारों में प्राप्य करेगा. जब उपभोक्ता, अपने तत्परता के पश्चात कनेक्शन के उपयोग तक आता है, पहले किये गये बिलिंग, पुनरीक्षित बकाया देय के समाशोधन के पश्चात दिये गये कनेक्शन तथा करार के प्रारंभ होने की तारीख से वास्तविक संविदात्मक भार/मांग अनदेखा करते हुए कम किये गये भार/मांग के अनुपालन के आधार पर पुनरीक्षित की जा सकती है. करार की अवधि में, उस अवधि के समतुल्य वृद्धि की जायेगी जिसके लिए कम किये गये भार/मांग के आधार पर बिलिंग किया गया है.

50 हा.पा. तक एलटी उद्योगों के लिए	–	10 हा.पा.
50 हा.पा. से अधिक एलटी उद्योगों के लिए	–	20 हा.पा.
33 एवं 11 कि.वो. एचटी कनेक्शन के लिए	–	60 कि.वो.ए.
132 कि.वो. ईएचटी कनेक्शन के लिए	–	संविदात्मक मांग या 4000 कि.वो.ए. जो भी कम हो.
220 कि.वो. ईएचटी कनेक्शन के लिए	–	संविदात्मक मांग या 15000 कि.वो.ए. जो भी कम हो.

34. **मूल संहिता के विनियम 10.28 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:–**

10.28 उपरोक्त विनियम 10.26 में उल्लिखित उपभोक्ता की दशा में, करार अवधि के अवसान तक आपूर्ति के उपयोग तक नही आता है तो बिलिंग, करार अवधि के अवसान तक असंयोजन (डीसकनेक्शन) की तारीख से वास्तविक संविदात्मक भार/मांग अनदेखा करते हुए कम किये गये भार/मांग के अनुपालन के आधार पर पुनरीक्षित की जायेगी तथा उत्तरवर्ती बिलिंग बंद कर दी जायेगी.

50 हा.पा. तक एलटी उद्योगों के लिए	–	10 हा.पा.
50 हा.पा. से अधिक एलटी उद्योगों के लिए	–	20 हा.पा.
33 एवं 11 कि.वो. एचटी कनेक्शन के लिए	–	60 कि.वो.ए.
132 कि.वो. ईएचटी कनेक्शन के लिए	–	संविदात्मक मांग या 4000 कि.वो.ए. जो भी कम हो.
220 कि.वो. ईएचटी कनेक्शन के लिए	–	संविदात्मक मांग या 15000 कि.वो.ए. जो भी कम हो.

35. **मूल संहिता के विनियम 10.29 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:–**

10.29 (i) यदि उपभोक्ता, अनुबन्ध अवधि के अवसान पश्चात आपूर्ति के उपयोग हेतु आता है तो नवीन कनेक्शन के रूप में समझा जायेगा तथा बकाया देय, यदि कोई हो, के भुगतान के पश्चात, तदनुसार, निराकृत किया जायेगा.

(ii) इसके अतिरिक्त, संबंधित फीडर के माध्यम से आपूर्ति का उपयोग करने वाले उपभोक्ता की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी सब–स्टेशन एवं संबंधित लाइन में खण्ड (Bay) का उपयोग अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा, यदि उपभोक्ता, अनुबन्ध की समाप्ति/स्थायी असंयोजन (डिसकनेक्शन) की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आपूर्ति के उपयोग हेतु नही आता है. ऐसी शर्तों के अधीन उपभोक्ता, खण्ड (Bay) और समर्पित लाइन की लागत वहन करेगा. यदि लाइन एवं खण्ड (Bay), उपलब्ध है और शेष उपयोग नही किया गया है तो उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को उसके उपांतरण/सुधार की लागत का भुगतान करेगा और अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे लाइन उपकरणों के उपयोग न किये गये अवधि के लिए संधारण प्रभार का भुगतान करेगा.

36. **मूल संहिता के विनियम 10.30 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः–**

10.30 देय बकाये रखते विद्युत कनेक्शन के स्थायी अंसयोजन (डिसकनेक्शन) पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इस संहिता के प्रावधानों के संबंध में अन्य उपचारों को प्रयोग करने हेतु उसके अधिकार के प्रतिकूलता के बिना, ऐसे देय बकाये की वसूली के लिए छत्तीसगढ़ शासन विद्युत उपक्रम (बकाये की वसूली) अधिनियम, 1961 (क्र.36 सन् 1961) का अनुपालन करेगा.

37. **मूल संहिता के विनियम 11.39 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः**

11.39 (i) विद्युत की चोरी के मामले में, उपभोग का निर्धारण करने हेतु कार्यपद्धति :–

निर्धारित यूनिटः एल X डी X एच X एफ, जहां

एल = भार कि.वा. में (निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता के परिसर में पायी गई संयोजित भार)

डी = प्रतिमाह कार्य दिवसों की संख्या जो निचे दिये गये उपयोग के विभिन्न संवर्गों के लिए लिया जायेगाः

ए) निरंतर चलित उद्योग 30 दिवस
बी) गैर–निरंतर चलित उद्योग 25 दिवस
सी) घरेलु उपयोग 30 दिवस
डी) कृषि 30 दिवस
ई) गैर–घरेलु (निरंतर) 30 दिवस
अर्थात. अस्पताल, होटल एवं रेस्टोरेंट,
अतिथिगृह, पेट्रोल पम्प आदि.
एफ) गैर–घरेलु (सामान्य) अर्थात (ड.) से भिन्न, 25 दिवस
जी) जल कार्य एवं स्ट्रीट लाईट 30 दिवस

एच = आपूर्ति घंटे प्रतिदिन के लिए प्रयुक्त और निचे दिये गये उपयोग के विभिन्न संवर्गों के लिए लिया जायेगाः

ए) एकल शिफ्ट कार्य उद्योग 8 घंटे
बी) दो शिफ्ट कार्य उद्योग 16 घंटे
सी) निरंतर चलित उद्योग 24 घंटे
डी) (i) गैर–घरेलु, रेस्टारेन्ट सहित, 12 घंटे
(ii) होटल, अस्पताल, अतिथिगृह, पेट्रोल पम्प 20 घंटे
ई) घरेलु 24 घंटे
एफ) कृषि 18 घंटे
जी) जल कार्य 8 घंटे
एच) स्ट्रीट लाईट 12 घंटे

एफ= भार गुणक जिसे निचे दिये गये उपयोग के विभिन्न संवर्गों के लिए लिया जायेगाः

ए) उद्योग 60 प्रतिशत
बी) गैर–घरेलु 60 प्रतिशत
सी) घरेलु 40 प्रतिशत
डी) कृषि 50 प्रतिशत
ई) जल कार्य 50 प्रतिशत
एफ) स्ट्रीट लाईट 50 प्रतिशत
जी) सीधे चोरी (i) घरेलु वर्ग 50 प्रतिशत
(ii) घरेलु से भिन्न सभी उपभोक्ता 100 प्रतिशत

घरेलु जल पम्प, माइक्रोवेव आवेन, वाशिंग मशीन, मिक्सर, इलेक्ट्रिक प्रेस, लघु घरेलु फ्लोर मील, वेकुम क्लीनर, टोस्टर, वाटर प्युरीफायर, एवं लाईट, पंखा, टीवी एवं रेफ्रीजनेटर आदि को छोड़ते हुए छोटे घरेलु उपकरणों, के संचालन के लिए सदभाव में घरेलु उपयोग के लिए विद्युत की चोरी की दशा में उपभोग की गई यूनिट के निर्धारण के प्रयोजन के लिए कार्य घंटे, पूर्ण दर क्षमता पर प्रति दिन एक कार्य दिवस से अधिक के लिए विचारणीय नही होंगे. एयर कंडीशनर, कुलर एवं गीजर के मामले में उपयोग की अवधि, उस संवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट भार गुणक एवं प्रतिदिन कार्य घंटे के साथ सभी संवर्गों के उपयोगकर्ताओं के लिए वर्ष में छःमाह के रूप में लिये जायेंगे.

(ii) **अस्थाई कनेक्शन के लिए विद्युत की चोरी की दशा में विद्युत का निर्धारणः**

अस्थाई कनेक्शन की दशा में, विद्युत की चोरी के लिए उपभोग की गई यूनिट के निर्धारण, निम्नलिखित फार्मुला के अनुसार किया जायेगाः

निर्धारित यूनिटः एल X डी X एच, जहां

एल = भार (निरीक्षण के समय संयोजित पायी गई भार)
डी = दिवसों की संख्या जिसके लिए आपूर्ति किया जाता है, एवं
एच = कृषि कनेक्शनों के लिए 18 घंटे एवं अन्य के लिए 12 घंटे.

38. **मूल संहिता के विनियम 12.24 के पश्चात नवीन विनियम 12.25 एवं 12.26 जोड़ा जायेः**

11.25 यदि सीजीपी/आईपीपी, अधिनियम की धारा 68 के अधीन राज्य शासन के अनुमति से अपने केप्टिव उपयोगकर्ता और/या अपने स्वयं के विद्युत संयंत्र में अंतर संयोजन के प्रयोजन के लिए संबंधित एचटी/ईएचटी लाईन के निर्माण की इच्छा रखते हैं, तो आपूर्ति संहिता विनियम 4.20 के अधीन प्रावधान लागू नही होंगे.

11.26 सीजीपी/आईपीपी, अनुज्ञप्तिधाारी के सब–स्टेशन से संबंधित फीडर के माध्यम से संयोजित किया गया है एवं किसी कारण से करार के प्रारंभिक अवधि के अवसान के पश्चात ग्रिड से स्थायी तौर पर असंयोजित हो गया हो तो खण्ड (Bay) एवं लाइन का उपयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा.

यदि ऐसा सीजीपी/आईपीपी, संयोजन के लिए आवेदन करता है एवं खण्ड (Bay) एवं लाइन का उपयोग नही करता है तो उपांतरण/सुधार की लागत, ऐसे सीजीपी/आईपीपी द्वारा, शेष उपयोग न किये गये ऐसे लाइन उपकरण की अवधि का रख रखाव प्रभार के साथ वहन किया जायेगा.

यदि ऐसा सीजीपी/आईपीपी, संयोजन के लिए आवेदन करता है एवं खण्ड (Bay) एवं लाइन का अंशतः या पूर्णतः उपयोग करता है तो खण्ड (Bay) एवं लाइन तथा/या उपांतरण/सुधार की लागत, सीजीपी/आईपीपी द्वारा, शेष उपयोग न किये गये ऐसे लाइन भाग की अवधि का रख रखाव प्रभार का वहन किया जायेगा.